राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम, जयपुर 302005
दूरभाष नं0 0141–2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई–मेलः dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ–2 (घ) ( )(नि.) जांच / आर.एम.एस. / डीएलबी / 16 / 2546 दिनांक : 13-7-16

आदेश

चूंकि श्री भंवर लाल सोनी, अधिशाषी अधिकारी (तृतीय) हाल – आयुक्त, नगर परिषद, सीकर के विरूद्ध नगर परिषद, सुजानगढ एवं हनुमानगढ से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज परिवाद संख्या 175 / 15 व 494 / 11 में अभियोजन स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 12.07.2016 को जारी की गई है।

अतः राजस्थान सेवाये (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री भंवर लाल सोनी, अधिशाषी अधिकारी (तृतीय) हाल – आयुक्त, नगर परिषद, सीकर को उक्त दोनों प्रकरणों में एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में श्री सोनी का मुख्यालय क्षैत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर में रहेगा तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नियमानुसार नगर परिषद, सीकर से देय होगा।**

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक : एफ–2 (घ) ( )(नि.) जांच / आर.एम.एस. / डीएलबी / 16 / 2547-60 दिनांक : 13-7-16
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सीकर / बीकानेर / हनुमानगढ़।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर / बीकानेर।
5. सभापति / आयुक्त, नगर परिषद, सीकर / सुजानगढ़ / हनुमानगढ़।
6. श्री भंवर लाल सोनी, अधिशाषी अधिकारी (तृतीय) हाल – आयुक्त, नगर परिषद, सीकर।
7. आर. एम. एस. (संस्थापन) शाखा / लेखा (पेंशन) अनुभाग निदेशालय।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक